आदेशों की शीट

8/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र धारा 251क स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा. बाद पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी -- नेहा छीपा R.A.S

प्रकरण संख्या 02/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 मसीना बानू पत्नी रज्जाक मोहम्मद मंसूरी उम्र–वयस्क निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाडा राज.

2 लाड बानू पत्नि मोहम्मद मंसूरी उम्र–वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

...... प्रार्थीगण

बनाम

1 जमनी देवी पत्नि नन्दलाल जाट उम्र–वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

2 बालू पिता रामा जाट निवासी रूपालिया तहसील हमीरगढ मृतक के बजाय कायम मुकाम–

2/1 कमला पुत्री स्व. बालू जाट पत्नि बद्रीलाल जाट उम्र–वयस्क निवासी रेणवास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा राज.

2/2 सोहनी पुत्री स्व. बालू जाट पत्नि बालूलाल जाट उम्र–वयस्क निवासी दलेल सिंह जी का खेडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

2/3 कैली देवी पत्नि स्व. बालू जाट उम्र–वयस्क निवासी रूपालिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

3 भंवरलाल पिता बालू जाट उम्र–वयस्क निवासी रूपालिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

4 लादूलाल पिता बालू जाट उम्र–वयस्क निवासी रूपालिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

5 पीरू पिता बशीर मुसलमान उम्र–वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.

6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री कैलाश चन्द्र आचार्य–––––– प्रार्थीगण अधिवक्ता

राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ

अनुपस्थित– विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05

निर्णय

दिनांक 08–10–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 29.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा रूपालिया पटवार मण्डल क्षेत्र आमलीगढ भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ स्थित खसरा संख्या 66/4, 914/67 प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व से सहखातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

खातेदारी से विनत करके अपने खसरात तक पहुंचना पड़ता है। प्रार्थीगण वर्षों से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 के सहखातेदारी खसरात में से होकर आते जाते रहे है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा अवरोध/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 की खातेदारी संख्या 66/5, 67/1 की मेड़ के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। और से प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार कराया जाकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरात में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व के खसरात संख्या 66/5, 67/1 भूमि में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किये जाने की ईस्तदुआ की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 03.01.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ, जिसे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के विरूद्ध बावजूद तामील गैर हाजिर पाये जाने पर एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ़ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ़ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की। इसी बीच प्रार्थनापत्र विचारण दौरान अप्रार्थी संख्या 02 के देहान्त हो जाने से मृतक विपक्षी के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने के उद्देश्य से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को बाद विश्लेषण/चिन्तन तथा विपक्षीगणों को सुनवाई अवसर प्रदान करने के उपरान्त मंजूर किया गया एवं मृतक विपक्षी संख्या 02 के कायम मुकामों को प्रार्थनापत्र में बतौर नवीन पक्षकार विपक्षी संख्या 2/1 से लगायत 2/3 के स्थानों पर संयोजित किया गया। किन्तु नवीन विपक्षीगणों के विरूद्ध बावजूद तामील गैर हाजिर पाये जाने पर एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा रूपालिया पटवार मण्डल क्षेत्र आमलीगढ भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 के सहखातेदारी खसरा संख्या 66/5 रकबा 3.1613 में से 0.0693 हैक्टयर (139 मीटर बाई 5 मीटर/693 वर्गमीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अदालत में जैर बहस अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग अथवा वैकल्पिक मार्ग मौके पर मौजूद नही है।
2. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।
3. रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थीगण के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थीगण के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थीगण को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन के मुताबिक प्रार्थीगण के लिए प्रयुक्त कराये गये 05 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग ही उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा रूपालिया पटवार मण्डल क्षेत्र आमलीगढ भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 के सहखातेदारी खसरा संख्या 66/5 रकबा 3.1613 में से

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (भील.)

Scanned with CamScanner

0.0693 हैक्टेयर (139 मीटर बाई 5 मीटर/693 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

-: आदेश :-

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बरक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा कमालिया पटवार मण्डल क्षेत्र आमलीगढ़ भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 के सहखातेदारी खसरा संख्या 66/5 रकबा 1.1613 में से 0.0693 हैक्टेयर (139 मीटर बाई 5 मीटर/693 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नक्शे मजबूरन (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावे।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब तहसील हमीरगढ़ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार प्रभावित रकबा 0.0693 हैक्टेयर (693 वर्गमीटर) की मालियत राशि की दो गुना राशि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 66/5 के वर्तमान खातेदारान) के पक्ष में अदायगी कर दी जावेगी अथवा राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 08–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़